

राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर



दिनांक:- 25/5/12

क्रमांक:- एफ 2 (8)/संकलन/वा.ले./2011-12/194/12)

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन बोर्ड,
वृत्त.....

लेखाधिकारी (भुगतान),
राजस्थान आवासन बोर्ड,
जयपुर

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन बोर्ड,
खण्ड.....

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लेखों के मिलान एवं कर-अंकेक्षण हेतु कार्यक्रम।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2011-12 दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हो गया है। वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे तैयार करने से पूर्व बोर्ड की समस्त इकाईयों के खातों का मिलान संकलन शाखा को प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर संधारित खाता बही से संकलन प्रकोष्ठ (मुख्यालय) में सम्पादित किया जाना है एवं वित्तीय लेखों का कर अंकेक्षण बोर्ड के अधिकृत सनदी लेखाकार(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा सम्पादित कराया जाना है। अतः उक्त कर अंकेक्षण एवं खातों का मिलान कार्यक्रम निम्नानुसार अनुसूचित किया जाता है:-

क्र सं	कार्यालय का नाम	खातों के मिलान की तिथि	कर अंकेक्षण की तिथि	स्थान एवं समय	पूरक खाते प्रस्तुत करने की तिथि
1.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम जोधपुर	04.06.2012	05.06.2012	मुख्यालय जयपुर	14.06.2012
2.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय जोधपुर	04.06.2012	05.06.2012	प्रातः 10:00 बजे	14.06.2012
3.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तृतीय जोधपुर	05.06.2012	06.06.2012	„	15.06.2012
4.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ जोधपुर	05.06.2012	06.06.2012	„	15.06.2012
5.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड PHIE जोधपुर	06.06.2012	07.06.2012	„	18.06.2012
6.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय जोधपुर	06.06.2012	07.06.2012	„	18.06.2012
7.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम जोधपुर	07.06.2012	08.06.2012	„	19.06.2012
8.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड जैसलमेर	07.06.2012	08.06.2012	„	19.06.2012
9.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पाली	11.06.2012	12.06.2012	„	20.06.2012
10.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त बीकानेर	11.06.2012	12.06.2012	„	20.06.2012
11.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम बीकानेर	12.06.2012	13.06.2012	„	21.06.2012
12.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बीकानेर	12.06.2012	13.06.2012	„	21.06.2012
13.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड हनुमानगढ़	13.06.2012	14.06.2012	„	22.06.2012
14.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त कोटा	13.06.2012	14.06.2012	„	22.06.2012
15.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा	14.06.2012	15.06.2012	„	25.06.2012
16.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड बांरा	14.06.2012	15.06.2012	„	25.06.2012

२५६/१४१

Cont.....

(2)

क्र सं	कार्यालय का नाम	खातों के मिलान की तिथि	कर अंकेशन की तिथि	स्थान एवं समय	पूरक खाते प्रस्तुत करने की तिथि
17.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त अलवर	13.06.2012	19.06.2012	मुख्यालय जयपुर	26.06.2012
18.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड अलवर	18.06.2012	19.06.2012	प्रातः 10:00 बजे	26.06.2012
19.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी	19.06.2012	20.06.2012	"	28.06.2012
20.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भरतपुर	19.06.2012	20.06.2012	"	28.06.2012
21.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर	20.06.2012	21.06.2012	"	29.06.2012
22.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम उदयपुर	20.06.2012	21.06.2012	"	29.06.2012
23.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय उदयपुर	21.06.2012	22.06.2012	"	02.07.2012
24.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाड़ा	21.06.2012	22.06.2012	"	02.07.2012
25.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चित्तौड़गढ़	25.06.2012	26.06.2012	"	04.07.2012
26.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड डूंगरपुर	25.06.2012	26.06.2012	"	04.07.2012
27.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम जयपुर	26.06.2012	27.06.2012	"	05.07.2012
28.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तृतीय जयपुर	26.06.2012	27.06.2012	"	05.07.2012
29.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ जयपुर	27.06.2012	28.06.2012	"	06.07.2012
30.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड पंचम जयपुर	27.06.2012	28.06.2012	"	06.07.2012
31.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड दशम जयपुर	02.07.2012	03.07.2012	"	10.07.2012
32.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड बारह जयपुर	02.07.2012	03.07.2012	"	10.07.2012
33.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय जयपुर	03.07.2012	04.07.2012	"	11.07.2012
34.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड षष्ठम जयपुर	03.07.2012	04.07.2012	"	11.07.2012
35.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड नवम जयपुर	04.07.2012	05.07.2012	"	12.07.2012
36.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड PHE-I जयपुर	04.07.2012	05.07.2012	"	12.07.2012
37.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड अजमेर	05.07.2012	06.07.2012	"	13.07.2012
38.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड झुंझुनू	05.07.2012	06.07.2012	"	13.07.2012
39.	उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय जयपुर	09.07.2012	10.07.2012	"	17.07.2012
40.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड प्रथम जयपुर	09.07.2012	10.07.2012	"	17.07.2012
41.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय जयपुर	10.07.2012	11.07.2012	"	18.07.2012
42.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड ग्यारह जयपुर	10.07.2012	11.07.2012	"	18.07.2012
43.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड तेरह जयपुर	11.07.2012	12.07.2012	"	19.07.2012
44.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड PHE-II जयपुर	11.07.2012	12.07.2012	"	19.07.2012
45.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड दौसा	12.07.2012	13.07.2012	"	20.07.2012
46.	आवासीय अभियन्ता, खण्ड विद्युत जयपुर	12.07.2012	13.07.2012	"	20.07.2012
47.	लेखाधिकारी (भुगतान) मुख्यालय जयपुर	16.07.2012	17.07.2012	"	27.07.2012

जी.पी.एफ./पेंशन अंशदान एवं लेखाधिकारी (भुगतान) से रेमीटेन्स की राशि के समाशोधन का कार्य भी उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पन्न किया जायेगा तथा समस्त इकाईयां आपस में किये गये लेन-देनों के डेबिट/क्रेडिट नोट संबंधित इकाई को देकर प्राप्ति सहित एक प्रति मिलान की तिथि को संकलन प्रकोष्ठ में दें।

Y44 d. 4/11/

Cont.....

(3)

आवासन आयुक्त महोदय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 520 दिनांक 27-08-2010 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना नियमित रूप से प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखों एवं पूरक खातों के निर्माण में किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त वृत्त/खण्डों के सहायक लेखाधिकारी (निर्माण)/लेखाकारों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार सम्बन्धित इकाई के सम्मुख दी गई तिथि पर रोकड़ बही, खाताबही, जर्नल बुक, मासिक लेखे एवं अन्य समस्त वांछित रिकॉर्ड के साथ संकलन शाखा में निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 बजे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने खातों का मिलान कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमानुसार कर-अंकेक्षण के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित निम्नांकित रेकॉर्ड सी० ए० को प्रस्तुत करेंगे:-

- 1 कैशबुक,लेजर,जर्नल,मूल वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट सहित बैंक समाधान विवरणपत्र, माह मार्च, 2012 का मासिक लेखा
- 2 बैंक खातों में दिनांक 31-03-2012 को अन्तिम शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाणपत्र की एक-एक सत्यापित छायाप्रति।
- 3 वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर काटे गये/जमा कराये गये आयकर का विवरण एवं जमा के चालानों की कार्यालय प्रतियाँ। वर्ष की चारों तिमाही के लिए प्रस्तुत की गई रिटर्न की पत्रावली जिसमें फार्म 26 क्यू, फार्म 24, फार्म 16 एवं 16 ए (टैक्स कटौती के सर्टीफिकेट) की प्रतियां उपलब्ध हों।
- 4 वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त सर्विस टैक्स, लेबर सेस, वैट एवं जमा के विवरण सहित चालानों की प्रतियां व सर्विस टैक्स रिटर्न की पत्रावली।
- 5 वर्ष के दौरान ठेकेदारों के बिलों में से आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, वैट, लेबर सेस के पेटे काटी गई/जमा करायी गई राशि का विवरण एवं जमा के चालानों की प्रतियां।
- 6 वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न न्यायालयों/मंचों द्वारा निर्णीत न्यायिक विवादों की सूची एवं न्यायायिक निर्णयानुसार अगर कोई भुगतान किया गया है, तो उन निर्णयों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

कार्यक्रमानुसार सभी इकाईयाँ खातों के मिलान का कार्य एवं कर-अंकेक्षण का कार्य पूर्ण होते ही चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा कर-अंकेक्षण के समय दिये गये निर्देशों/संकलन प्रकोष्ठ द्वारा दिये गये सुझावों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये वित्तीय वर्ष 2011-12 के पूरक लेखे, पूर्व वर्ष की भॉति, निर्धारित प्रारूपों में समस्त वांछित सूचनाओं सहित निर्धारित तिथि तक सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार के साथ आवश्यक रूप से मुख्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि आपके कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर काटे गये टैक्स का कोई प्रमाण -पत्र प्राप्त हुआ हो तो मूल ही संलग्न करें।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान आवासन बोर्ड वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंतिम खाते बनाने एवं खातों का अंकेक्षण कराकर, आयकर विभाग में आयकर विवरणिका 30 सितम्बर 2012 तक प्रस्तुत करने हेतु वाध्य है। निर्धारित तिथि तक आयकर विवरणिका आयकर विभाग में प्रस्तुत नहीं होने पर विलम्ब के लिये शास्ति का प्रावधान है। अतः निर्धारित कार्यक्रमानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

Wd. 11/1

Cont.....

(4)

उक्त कर-अंकेक्षण के कार्य को सूचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु बोर्ड के प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउण्टेंट, मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कं०, 209 जयपुर टॉवर, ऑल इण्डिया रेडियो के सामने, एम. आई. रोड जयपुर टेलीफोन नं. 0141-2363936, मो. 98290-12250 एवं 99297-24985, फैंक्स नं. 0141-2371210 को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

भवदीय

१५५५१५१

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि:— प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान)/प्रैशर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि रैमीटेन्स/जी.पी.एफ./पेंशन अंशदान के समाशोधन हेतु अपने प्रकोष्ठ से किसी अधिकारी/कर्मचारी को कार्यक्रमानुसार मिलान कार्य हेतु नियुक्त करें।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 की वसूली से संबंधित समस्त सूचनाएं समय पर लेखा (भुगतान) शाखा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि लेखा शाखा द्वारा पूरक खाते तैयार कर शीघ्रतिशीघ्र संकलन प्रकोष्ठ को निर्धारित समयावधि में प्रेषित किये जा सकें।
7. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
8. मैसर्स कुलदीप कुमार गुप्ता एण्ड कं०, 209 जयपुर टॉवर, ऑल इण्डिया रेडियो के सामने, एम. आई. रोड जयपुर
9. एनालिस्ट कम जोगामर श. आ. कोर्ड की अजकल लेख है कि उक्त को कोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें। १५५५१५१

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)